राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 990 / 2022

संगीता अवस्थी –अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सिरोही।
6. जिला कलक्टर, सिरोही।
7. राम किशन मीणा, हॉस्टल वार्डन, राजकीय अम्बेडकर छात्रावास,

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 18.11.2022
आदेश की दिनांक : 21.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कैलाश जांगिड़, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

पत्रावली पेश हुई, अपीलार्थी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हुआ तथा प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री यशवंत मेहता उपस्थित। प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.11.2022 (अनुलग्नक–6) को चुनौती दी गई है। जिसके द्वारा अपीलार्थी के स्वयं के निवेदन पर राजकीय देवनारायण कन्या छात्रावास आबूरोड एवं राजकीय सावित्री बाई फूले कन्या छात्रावास आबूरोड के अतिरिक्त कार्यभार से अपीलार्थी को मुक्त करने हेतु आदेशित किया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वर्तमान में अपीलार्थी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, भावरी जिला सिरोही में पदोन्नति पर दिनांक 12.06.2023 से कार्यरत है। इस प्रकार अपीलार्थी के अपील दायर करने के पश्चात पदस्थापन स्थान में परिवर्तन हो चुका है और अपीलार्थी नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर वर्तमान में कार्यरत है। अतः इसके दृष्टिगत अपील में निहित आलोच्य आदेश का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। इसलिए अपील सारहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य